

R.S. POLYCLINIC & DIAGNOSTIC CENTRE

Near Post Office, Tatibandh, Raipur - 492 099 (C.G.) Ph. No. 4070546, 6261878502

डॉ. रूपांशु वर्मा, एम.बी.बी.एस., एम.डी.

प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ

Reg. No. CGMC/1723/2008

Time : 10.30 AM - 1.30 PM & 6.00 - 8.00 PM



डॉ. संजय वर्मा, एम.बी.बी.एस., एम.डी.

मेडिसिन विशेषज्ञ

Reg. No. CGMC/1723/2008

Time : 7.00 - 7.30 AM, 2.00 to 2.30 PM & 6-8 PM

उपलब्ध सुविधाएँ : सोनोग्राफी, ईकोकार्डियोग्राफी, ई.सी.जी., नेबुलाइजर, प्रसूति, निहसंतानता, ऑपरेशन
हृदय रोग, डायबीटिस रोग संबंधी जाँच एवं इलाज

- L.M.P.

- E.D.D.

- PARA

- Abortion

- TT - I / II

ADVISED

CBC, ESR

Blood Group & Rh

Blood Sugar F/PP/R

Sickling

Blood Urea

Sr. Creatinine

Sr Uric Acid

L. F. T.

Lipid Profile

Sr. Electrolytes

VDRL

T3T4TSH

HIV/HBsAg/HCV

RAFactor/AntiCCP

ANA/CRP

HbA1C / Sr vita D3

P.T. / INR

PS For MP/ Widal

Urine R/M

Urine S/K

Urine Albumin

TORCH test

USG / ECHO/Trop-T

ECG /CPK-MB

X-Ray / C.T./ MRI

छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारीयों के उपचार (प्रसूति एवं स्त्री रोग) हेतु मान्यता प्राप्त।

रविवार (केवल अपाईटमेंट द्वारा)

16/11/23

Mrs. A. Rajeshwari 46 yr / F

Clot - Mixed uterine with Menorrhagia.

Clot - Heavy Bleeding.
Prolong Bleeding.

Operation - TAH + Ab sided Sulphoglycolate
done.

Tissue send for HPE.

Rajeshwari
R.S. POLYCLINIC &
DIAGNOSTIC CENTRE
TATIBANDH, RAIPUR (C.G.)

24634979

उपरोक्त प्रिस्क्रिप्शन दिनांक तक के लिये वैध है।

..... दिन बाद दिखाने आए, यह परचा साथ में जरूर लावे, CONSULT SOS/NOT FOR MEDICO LEGAL USE/SUBJECT TO RAIPUR JURISDICTION

1. रोग की अवस्था, जोखिम एवं परिणाम के बारे में हमें हमारी भाषा में बताया गया है।
2. उपचार के दौरान खान-पान एवं परिणाम के बारे में दी गई सलाह का कड़ाई एवं नियमित रूप से पालन करें एवं समय पर ब्रेक अप हेतु आएं।
3. परामर्श/उपचार के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की तकलीफ या प्रॉब्लम होने पर सम्बंधित चिकित्सक की जानकारी में लावे।
4. जो फीस ली जाती है वह संभावित उपचार एवं परामर्श हेतु है, उसका तात्पर्य किसी किस्म की गारंटी नहीं है और न ही किसी किस्म की सुविधा उपलब्ध कराने से है।
5. आवश्यकतानुसार उच्च एवं सुपर स्पेशलिटी संस्था में जाने की सलाह दी जा सकती है।
6. आराम या संतोष न होने पर किसी भी समय चिकित्सक या चिकित्सालय बदलने को स्वतंत्र हैं।
7. मेडिको लेगल कार्य एवं रीड्युसेमन्ट हेतु नहीं है।
8. फालो अप जांच सलाह के अनुसार अवश्य करवाएं।
9. चिकित्सक से संपर्क न हो पाने की स्थिति में निकटतम अन्य चिकित्सक से सलाह लें।